भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2817

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

जनजातियों में स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना

†2817. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना या व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों नामत: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों में उद्यमिता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें जनजातीय उद्यमिता पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना है। योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके), की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। अब तक 3958 वीडीवीके स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत वन धन विकास केंद्र का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। ट्राइफेड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए जनजातीय कारीगरों / आपूर्तिकर्ताओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। ट्राइफेड ने अब तक जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए 4990 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ट्राइफेड ने 130.58 करोड़ रुपये की खरीद की है और 186.02 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए और उनकी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर देने के लिए उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने हेतु मंच प्रदान करने के लिए त्योहारों, मेलों आदि का भी आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम सैक्टर (क्षेत्र) (सीपीएसई) है, जो आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उद्यमिता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी ₹50.00 लाख प्रति यूनिट (ईकाई) तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी (आर्थिक सहायता) / प्रमोटर योगदान / मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।

2. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्यार दर पर ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है।
3. **स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म (लघु) ऋण योजना (एमसीएफ):** यह अनुसूचित जनजाति सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹ 50,000/- तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अधिकतम ₹ 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।
4. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई):** यह एक शिक्षा ऋण योजना है जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और पेशेवर (व्यावसायिक) शिक्षा के लिए खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रति पात्र परिवार को ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 623605 लाभार्थियों को 1577.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

12.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. †2817 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-1

राज्यों को स्वीकृत पीएमजेवीएम वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का विवरण:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	वीडीवीके लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (रु./लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	471	143309	7065
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43701	2174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	259	76168	3806.55
19	नागालैंड	284	85198	4259.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23381	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3958**	**1183412**	**58,736.50**

12.12.2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. †2817 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-2

पिछले पांच वर्षों (2023-24 तक) में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋणों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित ऋण (करोड़ में)	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	171.06	55705
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.45	7501
3	अरुणाचल प्रदेश	25.10	10426
4	असम	1.03	212
5	बिहार	0.15	958
6	छत्तीसगढ़	30.52	6676
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.05	6
8	गोवा	0.00	1
9	गुजरात	76.89	36453
10	हरियाणा	0.00	
11	हिमाचल प्रदेश	1.27	201
12	जम्मू एवं कश्मीर	37.86	1361
13	झारखंड	37.44	32501
14	कर्नाटक	69.62	8817
15	केरल	22.32	1641
16	लक्षद्वीप	0.00	
17	मध्य प्रदेश	174.43	33198
18	महाराष्ट्र	45.96	11649
19	मणिपुर	3.23	296
20	मेघालय	78.72	40731
21	मिजोरम	273.87	30504
22	नागालैंड	54.25	149187
23	ओडिशा	69.76	84849
24	राजस्थान	65.27	9986
25	सिक्किम	4.32	164
26	तमिलनाडु	44.09	16723
27	तेलंगाना	190.13	54311
28	त्रिपुरा	49.31	5530
29	उत्तराखंड	2.23	277
30	उत्तर प्रदेश	0.05	8
31	पश्चिम बंगाल	45.78	23733
	कुल	1577.12	623605

*****